266

संख्या– /XVIII(II)/2015–18(24)/2

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः | | मार्च, 20

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय पॉलीटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान, बेरीनाग की स्थापना हेतु
2.006 है0 भूमि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशु
हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–631/सात–37/2013–14 दि0–19.03.2014 त
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–5383/रा0प0–भू0हस्त
(पॉली0गराऊ)/2015 दि0–09.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
राज्यपाल, ग्राम गराऊ, पट्टी कालेटी, तहसील बेरानाग, जनपद पिथौरागढ़ के गैर ज0वि0 खा
खतौनी सं0–83 के खसरा सं0–5512 मध्ये रकबा 2.006 है0 श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद
भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.20
के प्राविधानों के अधीन तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागी
परामर्श/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शि
विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना
और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उस
लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लि
उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हे
किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बि
भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशे
पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरका
की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वार
सुनिश्चित किया जायेगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर विभिन्न गोलाईयों के 27 वृक्षों के पातन के संबंध में प्रशासकीय विभाग वन
निगम के माध्यम से नियमानुसार पातन सुनिश्चित करेगा।

.....2

9– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011 /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 149 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।